भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
कोच्चि KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

फा.सं.॥ /39/9/2015 -हिन्दी /के.उ.शु. तारीख/Date: 17.07.2018

सेवा में/ To

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद आयुक्तालय, कोचिन-18

All the members of the O L I C, Central Tax & Central Excise Commissionerate, Cochin-18.

महोदय/महोदया/ Sir/Madam,

विषय: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 10.07.2018 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

Sub: Minutes of the quarterly Meeting of the Official Language Implementation Committee held on 10.07.2018.

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोचिन-18 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 10.07.2018 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए इस के साथ संलग्न है। सभी संबन्धित अधिकारियों से अनुरोध है कि समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें ।

Kindly find enclosed a copy of the minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee (OLIC) of the Office of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Cochin-18 held on 10.07.2018. All concerned Officers are requested to take necessary action to ensure the compliance of the decision taken by the Committee.

भवदीय/Yours faithfully,

अमरनाथ केसरी/AMARNATH KESARI
संयुक्त आयुक्त(का.व सत.)/JOINT COMMISSIONER[P&V]

प्रतिलिपि /Copy to:

1. महा निदेशक, निष्पादन प्रबंधन महा निदेशालय, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, इन्द्र प्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।

   The Director General, Directorate Performance Management, Customs, Central Excise & Service Tax, "D" Block, I P Estate, New Delhi - 2.
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क। केन्द्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र ।

   The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise & Customs, C.R.Building, I.S.Press Road, Thiruvananthapuram Zone.
3. प्रधान आयुक्त के निजी सचिव/ सभी अनुभाग प्रमुख/ मण्डल कार्यालय

   P.S to Principal Commissioner/ All Section Heads/ Divisions
4. सभी केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त

   All the Commissioner's of Central Tax & Central Excise.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
कोच्चि, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 10.07.2018 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

Minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi held on 10.07.2018

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 10.07.2018 को अपराह्न 03.00 बजे केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्त श्री के.आर. उदय भास्कर की अध्यक्षता में आयुक्तालय के सम्मलेन कक्ष में आयोजित की गई।

The quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi was convened on 10.07.2018 at 03.00 pm under the Chairmanship of Shri K.R. Uday Bhaskar, Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi in the Conference Hall of the Commissionerate. The following members attended the meeting.

क्र.सं S.No.	अधिकारी का नाम Name of the Officer	पदनाम Designation	अनुभाग /मंडल Section/Division
1	डॉ टी. टिजु Dr. T. Tiju	अपर आयुक्त Addl.Commissioner	मुख्यालय Hqrs.
2	श्री बी.जी.कृष्णन Shri B.G.Krishnan	संयुक्त आयुक्त Joint Commissioner	मुख्यालय Hqrs.
3	श्रीमती उमादेवी बी. Smt. Uma Devi B.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	का. व सत., तकनीकी, मु. P&V,Technical, Hqrs.
4	श्री एन.एस.देव Shri N.S.Dev	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	न्याय्निर्नयन, विधिक. मु. Adjn. Legal, Hqrs.
5	श्री आश्विन जॉन जॉर्ज Shri Ashwin John George	उप आयुक्त Deputy Commissioner	एर्णाकुलम मंडल Ernakulam Dvsn.

6	कु.एम विनुता Ms. M. Vinuta	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	काक्कनाड मंडल Kakkanad Dvsn.
7	श्री किरण टी. ए. Shri Kiran T.A.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	चालक्कुडी, तृश्शूर मंडल Chalakkudy,Thrissur Dvsns
8	कु.शालिनी सुष्मिता Ms.Shalini Sushmita	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	प्रशिक्षण,मुख्यालय Training, Hqrs.
9	श्री जयकान्त सी वी Shri Jayakant C.V.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	बकाया कक्ष. मुख्यालय Arrear Cell, Hqrs.
10	श्रीमती सुनिता पी एल Smt.Sunitha P.L.	प्रशासनिक अधिकारी(मु.व डी.डी. ओ) AO(H & DDO)	मुख्यालय Hqrs.
11	श्री टोजो डेविस Shri Tojo Davis	अधीक्षक Superintendent	ई डी पी कक्ष E.D.P. Cell
12	श्री बिजु जॉर्ज Shri Biju George	अधीक्षक Superintendent	गोपनीय व सतर्कता Cfdl. & Vigilance,Hqrs.
13	श्रीमती रोसेलिंड जोस थॉमस कोरुत Smt.Rosalind Jose Thomas Koruthu	कनिष्ठ अनुवादक Junior Translator	मुख्यालय Hqrs.

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और बैठक आरंभ की।
The Chairman welcomed all the members of the Committee and commenced the meeting.

I पिछली बैठक के निर्णयों पर कार्रवाई / Action taken on the decisions of the last meeting.

a. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है । Documents coming under section 3(3) of OL Act,1963 should be issued only in bilingual form:

समिति को सूचित किया गया कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि भविष्य में भी इसे सख्ती से पालन किया जाएं। अध्यक्ष ने यह निदेश भे दिया कि हिंदी में जारी होने वाले आदेशों को कार्यालय वेबसाइट में भी अपलोड किया जाएं |

The Committee was informed that section 3(3) of OL Act, 1963 is being followed. The Chairman directed that the same may be strictly followed in future too. The Chairman also directed that the Orders issued in Hindi may be uploaded in office website.

कार्रवाई: प्रशासनिक अधिकारी(मु.), प्रशासन, तकनीकी,न्यायनिर्णयन, सतर्कता अनुभागों के अधीक्षक, जन संपर्क अधिकारी, कनिष्ठ अनुवादक

Action: AO(Hqrs.), Supdt.s of Admn., Technical, Adjn., Vigilance sections, PRO, JT

b. राजभाषा नीति पर कार्यशाला / Workshop on Official Language Policy :

समिति को सूचित किया गया कि दिनांक 21.06.2018 को मुख्यालय में राजभाषा नीति पर एक कार्यशाला रखी गई थी तथा उक्त कार्यशाला में एक भी अधिकारी ने भाग नहीं लिया और हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण कुछ अधिकारियों को उनके सम्बंधित डेस्कों में जाकर दिया गया था | अध्यक्ष महोदय ने इस पर निदेश दिया कि भविष्य में हिंदी कार्यशालाओं के लिए कम से कम एक अधिकारी को हर एक मंडल व अनुभाग से नामांकित किया जाना चाहिए |

The Committee was informed that a workshop on Official Language Policy was arranged on 21.06.2018 but no officer attended the workshop and desk to desk Hindi typing training was given to some officers. To this the Chairman directed that in future at least one officer should be nominated from all divisions and sections for the Hindi workshops.

कार्रवाई:सभी अनुभाग व मंडल / Action: All Sections and Divisions

c. कैरली पत्रिका का प्रकाशन/ Publication Articles for the departmental magazine "Kairali-2017-18" :

समिति को सूचित किया गया कि "कैरली" पत्रिका हेतु अधिकारीयों से रचनाएँ मंगवाने हेतु दिनांक 15.05.2018 को एक बैठक बुलाई गई थी |समिति को यह भी सूचित किया गया कि विभागीय पत्रिका कैरली में प्रकाशित करने हेतु प्राप्त रचनाएँ शीघ्र ही छापने के लिए दी जाएँगी|

The Committee was informed that a meeting was conducted on 15.05.2018 to call for Articles for "Kairali" magazine from the officers. It was also informed that the articles received from the officers will be given for printing soon.

d. सभी अनुभाग एवं मंडल कार्यालयों में राजभाषा निरीक्षण/ Inspection on Official Language implementation in all sections and divisions :

समिति को सूचित किया गया कि तिमाही के दौरान फरवरी और मार्च महीनों में सभी अनुभागों एवं मंडल कार्यालयों में राजभाषा निरीक्षण किया गया और सभी मंडल कार्यालयों को निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा रिपोर्ट भी पिछली तिमाही में भेजी गई थीं | इस पर अध्यक्ष महोदय ने मंडल कार्यालयों को रिपोर्ट में बतायी गई कमियों को पूरा करने की सलाह दी |

The Committee was informed that Official Language implementation inspection was conducted in all sections and divisions during the quarter in the months of February and March,2018 and review reports of the Inspection reports were sent to all Divisions in the previous quarter. The Chairman advised the divisions to fulfil the shortcomings shown in the review report.

कार्रवाई:सभी मंडल / Action: All Divisions

e. त्रिश्शूर मंडल को राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया / Thissur division notified under 10(4) of the OL Rules,1976 :

समिति को सूचित किया गया कि संसदीय राजभाषा समिति के निदेशानुसार केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क त्रिश्शूर मंडल को राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है|

The Committee was informed that as per the directions of the Parliamentary Committee on OL Central Tax and Central Excise, Thrissur Division was notified under rule 10(4) of the OL Rules,1976.

कार्रवाई: त्रिश्शूर मंडल / Action: Thrissur Division

f. संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों की अनुपालन रिपोर्ट / Compliance report to the assurances given to the Parliamentary on OL :

समिति को सूचित किया गया कि संसदीय राजभाषा समिति को यथाक्रम उनके दिनांक 13.10.2017 और 16.10.2017 को त्रिश्शूर मंडल व मुख्यालय कोच्चि में किए गए निरीक्षणों के दौरान त्रिश्शूर मंडल व मुख्यालय कोच्चि द्वारा दिए गए आश्वासनों की अनुपालन रिपोर्ट अनुदेशों के अनुसार अप्रैल,2018 महीने के अंतिम सप्ताह में संसदीय राजभाषा समिति को भेजी गई है । हिंदी पत्राचार और हिंदी टिप्पण के अपेक्षित लक्ष्य दोनों कार्यालयों ने प्राप्त कर लिया है ।

समिति के निदेशों के अनुसार पिछली तिमाही में विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए :

1.सभी मंडल कार्यालयों को राजभाषा शब्दावली ईमेल में भेजी गई थी ।

2.स्पोर्ट्स अनुभाग को पूरा काम हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया ।

3.कैंटीन स्टाफ की भर्ती हेतु हिन्दी रोज़गार पत्र में हिंदी विज्ञापन दिया गया ।

अध्यक्ष ने निदेश दिया कि प्रशासनिक शब्दावली को कार्यालय वेबसाइट में भी अपलोड किया जाएं ।

The Committee was informed that Compliance report regarding the assurances given to the Parliamentary Committee on OL by Thrissur division and Hqrs. Kochi during PCOL inspections on 13.10.2017 & 16.10.2017 respectively were sent to the Parliamentary Committee during the last week of April,2018 as per instructions. Required percentage in Hindi correspondence and Hindi noting was attained by both offices.

As per Committee's directions action taken in various ways:

1. OL glossary was sent tot all divisions through e-mail.
2. Sports section was specified to do the complete work in Hindi.
3. Hindi Advertisement was given in Hindi employment news for recruitment of canteen staff .

The Chairman directed that Administrative glossary may be uploaded in the office website too.

II तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा / Review of the quarterly report :-

समिति को आयुक्तालय की हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता एवं तीनों क्षेत्रों में जाने वाले हिन्दी पत्रों की प्रतिशतता सूचित की गई ।

वे इस प्रकार है:-

पिछली तिमाही में हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता - 43.2%

वर्तमान तिमाही में हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता -46.4%

यथाक्रम दिनांक 31.03.2018,30.06.2018 को समाप्त होने वाली तिमाहियों में क -55.1%-53 .3%,ख-86.9%-66.6%,ग -57.2%-56.6% ।

The Committee was informed percentage of Hindi notings and percentage of Hindi correspondence to three regions:-It is as follows :-

Percentage of Hindi notings in previous quarter-43.2%

Percentage of Hindi notings in current quarter- 46.4%

A-55.1%-53.3%,B-86.9%-66.6%,C-57.2%-56.6% for the quarters ending on 31.03.2018,30.06.2018 respectively.

III विविध/Miscellaneous :-

1. वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा /Discussion on Annual Programme

राजभाषा विभाग द्वारा जारी राजभाषा कार्यान्वयन सम्बंधित वार्षिक कार्यक्रम(सार) सभी सदस्यों को दिया गया एवं उसपर विस्तार से चर्चा की गई | इस पर अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि मुख्यालय का साईन बोर्ड एवं कत्रिक्कडवु में स्थित सेंट्रल एक्साइज भवन का साईन बोर्ड त्रिभाषी रूप में तथा कार्यालयों के नाम भारत के राजपत्र में सूचित अनुसार शीघ्र ही बनाए जाएं |

The Annual programme(gist) issued by the Dept. Of OL was distributed among all members and it was discussed in detail. The Chairman directed that the sign boards in Hqrs. building and in Central Excise Bhavan at Kathrikkadavu should be made in trilingual form with the name of the office as mentioned in the Gazette of India.

कार्रवाई:जन संपर्क अधिकारी (मु. व सेंट्रल एक्साइज भवन) / Action: PRO(Hqrs. & Central Excise Bhavan)

2. हिंदी पखवाडा 2018-19 / Hindi Fortnight 2018-19

समिति को सूचित किया गया कि हर वर्ष कि तरह इस वर्ष भी सितम्बर महीने के दौरान मुख्यालय में हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाडा लेखा परीक्षा आयुक्तालय के साथ मनाया जाएगा | हर मंडल कार्यालय को हिंदी प्रतियोगिताओं के लिए कुछ सामग्रियां भेज दी जायेंगी एवं तदनुसार उन्हें अपने अपने मंडलों में प्रतियोगिताएं आयोजीत करना है |

The Committee was informed that Hindi Day and Hindi Fortnight will be celebrated in Hqrs office along with the Audit Commissionerate as we celebrate every year. Each division will be given some competition materials for Hindi Competitions and accordingly the divisions have to conduct competitions in their respective divisions.

कार्रवाई:सभी मंडल / Action: All Divisions

सदस्यों से अन्य कोई सुझाव न होने पर अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक अपराह्न 03.30 बजे समाप्त हुई |

As no further suggestions came from the members the meeting ended at 03.30 pm with vote of thanks to the chair.

(अमरनाथ केसरी/ AMARNATH KESARI)
संयुक्त आयुक्त(का.व सत.)/ JOINT COMMISSIONER(P&V)